

**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfddevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0-41/2015- 1086

दिनांक : 08.10.2015

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया व्याघ्र परियोजना, पलामू/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया व्याघ्र परियोजना, पलामू

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रोजेक्ट टाईगर पलामू" (50:50 केन्द्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-56/2015-36/स्वी0 व0प0 दिनांक 22.09.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0- 56/2015- 62/आ0 व0प0 दिनांक 05.10.2015, 04/यो0ब0- 56/2015- 63/आ0 व0प0 दिनांक 05.10.2015 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष- 110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष- 21 प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 157.074 लाख** (एक करोड़ सनतावन लाख सात हजार चार सौ रुपये) मात्र का आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

(क) केन्द्रांश (50%)

इकाई	कोड	राशि (लाख में)
मजदूरी	19C240602110210103	48.7215 (अड़तालीस लाख बहत्तर हत्तर एक सौ पचास रुपये)
आपूर्ति एवं सामग्री	19C240602110210103	29.8155 (उनतीस लाख एकासी हजार पाँच सौ पचास रुपये)
योग :-		78.537 (अठत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ रुपये)

(ख) राज्यांश (50%)

इकाई	कोड	राशि (लाख में)
मजदूरी	19P240602110210103	48.7215 (अड़तालीस लाख बहत्तर हत्तर एक सौ पचास रुपये)
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240602110210103	29.8155 (उनतीस लाख एकासी हजार पाँच सौ पचास रुपये)
योग :-		78.537 (अठत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ रुपये)

सकल योग (केन्द्रांश + राज्यांश) :- 157.074 (एक करोड़ सनतावन लाख सात हजार चार सौ)

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के परिशिष्ट-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं

वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनु0-2 पर द्रष्टव्य है।

3. फ्लेक्सी फण्ड के लिए स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्तरीय समिति से कार्य योजना पारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन फ्लेक्सी फण्ड से संबंधित मार्गदर्शिका दिनांक 06.01.2014 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी यथा मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण किया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

6. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय को वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस निर्धारित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत आवंटित राशि तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से विमुक्त राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों में विचलन न हों।
13. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व विस्तृत कार्य योजना एवं इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. इस योजना के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संवर्द्धन के कार्यों का सम्पादन ईको डेवलपमेंट समितियों के सहयोग से किया जायेगा।
16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से किया जायेगा।
17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 4-1 (16)/2015 पी0टी0 दिनांक 22.06.2015 द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
18. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-41/2015-1086 दिनांक- 08.10.2015

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज/
एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना" (50:50) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य


कोर एरिया के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना

क्र०सं 0	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या/ युनिट	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम						कुल	
					वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, पलामू।			वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, पलामू।				
					कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
आवर्तक व्यय (50:50)												
1	अवैध शिकार का रोकथाम											
(क)	अकुशल दैनिक श्रमिक/ट्रेकर को मजदूरी	कोर क्षेत्र	Trekker/ Dailywager	100	33.455	21.455	12.000	22.290	10.290	12.000	55.745	
(ख)	स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा भोजन पेट्रोलिंग।	कोर क्षेत्र	पेट्रोलिंग	15	0.804	0.804	0.000	1.608	1.608	0.000	2.412	
(ग)	बेतार यंत्रों का रख-रखाव, क्लोज सुजर ग्रुप एवं मोबाईल रिचार्ज सहित	कोर क्षेत्र	बेतार यंत्र		1.250	0.000	1.250	1.250	0.000	1.250	2.500	
(घ)	गश्ती हेतु कैम्प/चौकी का रख-रखाव एवं उसमें प्रतिनियुक्त मजदूरों को मजदूरी।	कोर क्षेत्र	गश्ती चौकी	4 कैम्प	2.787	2.787	0.000	8.362	8.362	0.000	11.149	
कुल:-					38.296	25.046	13.250	33.510	20.260	13.250	71.806	
2	मूल-भूत संरचनाओं का सुदृढीकरण											
(क)	जेनरेटर का रख-रखाव एवं कार्यालय व्यय	कोर क्षेत्र	कार्यालय व्यय		5.000	0.000	5.000	2.000	0.000	2.000	7.000	
(ख)	अग्नि सुरक्षा मिनार का रख-रखाव।	कोर क्षेत्र	मिनार	13	0.200	0.080	0.120	0.450	0.180	0.270	0.850	
(ग)	ई0डी0सी0/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अग्नि रेखा का रख-रखाव।	कोर क्षेत्र	K.M.	245	5.360	5.360	0.000	7.772	7.772	0.000	13.132	
(घ)	वाहन का रख-रखाव।	कोर क्षेत्र	वाहन		10.000	0.000	10.000	5.000	0.000	5.000	15.000	
(च)	ई0डी0सी0 के माध्यम से अग्नि सुरक्षा कार्य।	कोर क्षेत्र	EDC	25	2.000	2.000	0.000	3.000	3.000	0.000	5.000	
(छ)	अग्नि सुरक्षा मिनार पर प्रतिनियुक्त मजदूरों की मजदूरी।	कोर क्षेत्र	संख्या	13	0.643	0.643	0.000	1.447	1.447	0.000	2.090	
(ज)	कार्यालय का उन्नतिकरण।	कोर क्षेत्र			1.500	0.000	1.500	0.500	0.000	0.500	2.000	
कुल:-					24.703	8.083	16.620	20.109	12.399	7.770	44.872	
3	वन्यप्राणियों के प्राकृतवास का उन्नयन एवं जल संरचनाओं का विकास											
(क)	घास मैदान का रख-रखाव।	कोर क्षेत्र	Ha.	100	1.876	1.876	0.000	3.484	3.484	0.000	5.360	
(ख)	सुदृढ़ उन्नयन।	कोर क्षेत्र	Ha.	185.85	4.000	4.000	0.000	10.868	10.868	0.000	14.868	
कुल:-					5.876	5.876	0.000	14.352	14.352	0.000	20.228	
4	अवैध शिकार का रोकथाम											
(क)	अकुशल दैनिक श्रमिक/ट्रेकर को मजदूरी	बफर क्षेत्र	Trekker/ Dailywager	29	10.593	4.866	5.727	5.575	2.561	3.014	16.168	
कुल:-					10.593	4.866	5.727	5.575	2.561	3.014	16.168	

क्र०सं 0	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या/ युनिट	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम						कुल
					वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, पलामू।			वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, पलामू।			
					कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	वन्यप्राणियों के प्राकृतवास का उन्वयन एवं जल संरचनाओं का विकास										
(क)	पशु चिकित्सा एवं उनका टिककरण।	बफर क्षेत्र	Camp	20	2.000	2.000	0.000	2.000	2.000	0.000	4.000
	कुल:-				2.000	2.000	0.000	2.000	2.000	0.000	4.000
	महाकुल:-				81.468	45.871	35.597	75.606	51.572	24.034	157.074

सारांश (राशि लाख रूप में)

प्रथमिक इकाई	कुल	कोर एरिया	बफर एरिया
मजदूरी	97.443	45.871	51.572
आपूर्ति एवं सामग्री	59.631	35.597	24.034
कुल:-	157.074	81.468	75.606


 अपर प्रधान, मुख्य घने संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में धन्य हेतु निर्माणांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-41/2015/1086

दिनांक - 08-Oct

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240602110210103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 21 . प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) 01 . वेलन एवं भौ 03 . मजदूरी	67420	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DFO.CORE.AREA.TP. EDININAGAR	2,293,550.00 रुपये बाइस लाख तिरनावे हजार पोंच सी पचास
2	P 19 240602110210103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 21 . प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) 01 . वेलन एवं भौ 03 . मजदूरी	67422	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.TP. MEDININAGAR	2,578,600.00 रुपये पच्चीस लाख अठहत्तर हजार छः सौ
3	C 19 240602110210103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 21 . प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) 01 . वेलन एवं भौ 03 . मजदूरी	67423	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DFO.CORE.AREA.TP. EDININAGAR	2,293,550.00 रुपये बाइस लाख तिरनावे हजार पोंच सी पचास

7,165,700.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये इकहत्तर लाख पैंसठ हजार सात सौ


(SHRI. K. SINGH CHAUDHARY IFS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	C 19 240602110210103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 21 . प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	67424	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.T .MEDININAGAR	2,578,600.00 रुपये पच्चीस लाख अठहत्तर हजार छः
5	C 19 240602110210323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 21 . प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	67425	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DFO.CORE.AREA.TP. EDININAGAR	1,779,850.00 रुपये सत्रह लाख उन्नासी हजार आठ सौ पचास
6	C 19 240602110210323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 21 . प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	67426	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.T .MEDININAGAR	1,201,700.00 रुपये बारह लाख एक हजार सात सौ
7	P 19 240602110210323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 21 . प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	67427	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DFO.CORE.AREA.TP. EDININAGAR	1,779,850.00 रुपये सत्रह लाख उन्नासी हजार आठ सौ पचास

योग:

7,340,000.00

क्रमिक योग:


रुपये एक करोड पैंतालीस लाख पाँच हजार सात सौ

14,505,700.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDLPCOF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	अवधि राशि
8	P 19 240602110210323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 21 . प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना (केन्द्रांश-SO : राज्यांश-SO) 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	67428	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.T .MEDININAGAR	1,201,700.00 रुपये बारह लाख एक हजार सात सौ



योग:

1,201,700.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख सात हजार चार सौ

15,707,400.00

(SHRI Y.K. SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL PCCF, DEV. JHARKHAND